



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276653
CG-DL-E-30092026-276653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5005]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5005]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5211(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3753(E) तारीख 10/07/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले में NH731 के कि.मी. 34.402 से कि.मी.119.312 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दैनिक जागरण (हिन्दी) और द टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) तारीख 17.07.2026 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले में NH731 के कि.मी. 34.402 से कि.मी.119.312 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: शाहजहांपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शाहजहांपुर					
गांव का नाम: जलालनगर बाहर चुंगी					
1	1039	निजी (निजी,)	कृषि	0.0128	सुरेशचन्द्र/सीताराम/नि0 सराय काइयाँ 1039
2	1041	निजी (निजी,)	कृषि	0.0054	छोटेला/जवाहर/नि. महमदजलालनगर 1041
3	1042	निजी (निजी,)	कृषि	0.0375	आसिफ अली / नन्हे शाह , खालिद अली / नन्हे शाह , फिरदौस अली / नन्हे शाह , राशिद अली / नन्हे शाह 1042
4	1043	निजी (निजी,)	कृषि	0.0086	मो0 अली शाह निष्क्रान्त/मकसद शाह/मो0 नसरत जई 1043

5	1046	निजी (निजी,)	कृषि	0.091	आसिफ/मो० सलीम खाँ/नि. ग्राम सलीम खाँ/मो० सलीम खाँ/नि. ग्राम 1046
6	1047	निजी (निजी,)	कृषि	0.0208	रामसागर/छोटेला/महंमद जलालनगर 1047
7	1048	निजी (निजी,)	कृषि	0.0095	रामसागर/छोटेला/महंमद जलालनगर 1048
8	1049	निजी (निजी,)	कृषि	0.0495	रामसागर/छोटेला/महंमद जलालनगर 1049
9	1050	निजी (निजी,)	कृषि	0.045	रामसागर/छोटेला/महंमद जलालनगर 1050
10	1052	निजी (निजी,)	कृषि	0.0601	अजय कुमार / लल्लू रामनरेश / लल्लू सेवाराम / लल्लू हरीश चन्द्र / लल्लू 1052
11	1063	निजी (निजी,)	कृषि	0.1391	आसिफ अली / नन्हे शाह / मो महमन्ज जलालनगर खालिद अली / नन्हे शाह / मो महमन्ज जलालनगर फिरदौस अली / नन्हे शाह / मो महमन्ज जलालनगर राशिद अली / नन्हे शाह / नि० महमद जलालनगर 1063
12	1066	निजी (निजी,)	कृषि	0.2565	सूरज वर्मा/प्यारेला/नि. महमद जलालनगर 1066
कुल योग				0.7358	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5211(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3753(E) Dated:10/07/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH731 in the stretch of land from Km. 34.402 to Km. 119.312 in the district of SHAHJAHANPUR in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in Dainik Jagaran (Hindi) and The Times Of India (English) both dated July 17 2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH731 in the stretch of land from Km. 34.402 to Km. 119.312 in the district of SHAHJAHANPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SHAHJAHANPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shahjahanpur					
Village: Jalalnagar Vahar Chungi					
1	1039	Private (Private,)	Agriculture	0.0128	Suresh Chandra/Sitaram/Resident of Sarai Kaiyan 1039
2	1041	Private (Private,)	Agriculture	0.0054	Chhotelal/Jawahar/Res. Mahmadjalal Nagar 1041
3	1042	Private (Private,)	Agriculture	0.0375	Asif Ali / Nanhe Shah, Khalid Ali / Nanhe Shah, Firdous Ali / Nanhe Shah, Rashid Ali / Nanhe Shah 1042
4	1043	Private (Private,)	Agriculture	0.0086	Md. Ali Shah Nishkrant/Maqsad Shah/Md. Nasrat Jai 1043
5	1046	Private (Private,)	Agriculture	0.091	Asif / Md. Salim Khan / Resident of Village Salim Khan / Md. Salim Khan / Resident of Village 1046

6	1047	Private (Private,)	Agriculture	0.0208	Ramsagar/Chhotelal/Mohammad Jalalnagar 1047
7	1048	Private (Private,)	Agriculture	0.0095	Ramsagar/Chhotelal/Mohammad Jalalnagar 1048
8	1049	Private (Private,)	Agriculture	0.0495	Ramsagar/Chhotelal/Mohammad Jalalnagar 1049
9	1050	Private (Private,)	Agriculture	0.045	Ramsagar/Chhotelal/Mohammad Jalalnagar 1050
10	1052	Private (Private,)	Agriculture	0.0601	Ajay Kumar / Lallu Ramnaresh / Lallu Sevaram / Lallu Harish Chandra / Lallu 1052
11	1063	Private (Private,)	Agriculture	0.1391	Asif Ali / Nanhe Shah / Mohalla Mohammad Jalalnagar Khalid Ali / Nanhe Shah / Mohalla Mohammad Jalalnagar Firdous Ali / Nanhe Shah / Mohalla Mohammad Jalalnagar Rashid Ali / Nanhe Shah / Mohalla Mohammad Jalalnagar 1063
12	1066	Private (Private,)	Agriculture	0.2565	Suraj Verma/Pyarelal/R. Mahamad Jalalnagar 1066
Total				0.7358	

[F. No. 17001/1/2018/PIU-Brly/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director